

विहित प्रपत्र

विद्यालय का नाम:—.....

विद्यालय का पता:—.....

.....
महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013

के अन्तर्गत “आंतरिक शिकायत कमिटी” का गठन

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के कंडिका 4 के अन्तर्गत “आंतरिक परिवार समिति” के गठन किये जाने का प्रावधान है, जिसका उद्देश्य कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण एवं परिवारों के निवारण, से संबंधित है।

उक्त के आलोक में इस विद्यालय के अन्तर्गत “आंतरिक परिवार समिति” का गठन निम्नरूपेण किया जाता है:—

INTERNAL COMPLAINTS COMMITTEE MEMBER LIST

| क्र०स० | कर्मि/पदाधिकारी का नाम | दूरभाष संख्या | समिति में स्थिति |
|--------|------------------------|---------------|------------------|
| 01 | | | |
| 02 | | | |
| 03 | | | |
| 04 | | | |
| 05 | | | |

नोट:— कमिटी का कार्य— महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित मामला प्रकाश में आने पर POSH ACT 2013 के सुसंगत धारा के अन्तर्गत कार्रवाई करने का प्रावधान है।

प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर एवं मुहर